[28 April, 2005]

कोई बात(व्यवधान)... जब पेपर में है। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: नहीं, देखिए।...(व्यवधान)...

श्री मूल चन्द मीणा: यह तो कोई तुक नहीं है।...(व्यवधान)... यह तो निकालने की कोई बात ही नहीं है, इसमें।...(व्यवधान)... दूसरा, सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जन जाति आयोगों की कानूनी शक्तियां प्रदान की जायें।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आपने 150 वर्ड्स से ज्यादा लिख दिया है, इसलिए यह निकाल दिया गया है। ...(व्यवधान)... अब बस ...(व्यवधान)...

श्री मूल चन्द मीणा: जिससे कि पिछड़े वर्गों को नौकरियों में उनका अधिकार दिलवाया जा सके।

Demand for taking measures to stop Female Foeticides in the country

श्री राम नारायण साहू (उत्तर प्रदेश): माननीय महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान अति गम्भीर विषय 'कन्या भूण हत्या' की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय उपसभापित जी, जब-जब महिलाओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा अत्यधिक कम हुई है, तब-तब भयानक सामाजिक उथल-पुथल हुई है और अनेक बार युद्ध भी हुए हैं। भूतकाल में नारी की संख्या में कमी के कारण सामाजिक थे, परन्तु आज वैज्ञानिक विकास की देन हैं। अगर आंकड़ों की ओर देखा जाये तो विदित होता है कि जो राज्य आर्थिक विकास की सीढ़ी पर तेजी से बढ़े हैं, वहीं महिलाओं के प्रतिशत में कमी आई है, जैसे- पंजाब, हरियाणा आदि, जबिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों में यह अनुपात सामान्य है, जैसे-बिहार, उत्तर प्रदेश आदि। शिक्षा की दृष्टि से अग्रणी प्रदेश केरल में महिलाओं का अनुपात पुरुषों की अपेक्षा अधिक है। अत: इन आंकड़ों से ही इस महत्वपूर्ण विषय के निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, जैसे कि- (i) शिक्षा का विकास कन्या भूण हत्या रोकने में सहायक हो सकता है, (ii) कन्या भूण हत्या के विरुद्ध जन-जागरण अभियान चलाने की अति आवश्यकता है, अन्यथा आर्थिक विकास ज्वलन्त सामाजिक समस्याओं को जन्म दे सकता है।

कन्या भ्रूण हत्या के पीछे दहेज दानव की विकराल मानसिकता छिपी रहती है, जिसके नियंत्रण हेतु जन-जागरण के द्वारा युवकों को प्रेरित करने की आवश्यकता है। कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध और कठोर कानून बनाना चाहिए एवं उसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। हम सभी का भी यह दायित्व है कि इसे रोकने के लिए सार्थक प्रयास करें।

श्रीमती जया बच्चन (उत्तर प्रदेश): उपसभापति जी, मैं एसोसिएट करती हूं। श्री कमाल अख्तर (उत्तर प्रदेश): सर, मैं भी एसोसिएट करता हूं। **श्री नन्द किशोर यादव** (उत्तर प्रदेश): सर, मैं भी एसोसिएट करता हूं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Pyarelai Khandewal. He is not here. Shri K. Rama Mohana Rao. He is also not here. Next is Prof. M.M. Agarwal. He is not here. Shri Subhash Prasad Yadav; not here. Shri Rama Muni Reddy Sirigireddy; not here. Shri Vijay J. Darda; not here. Shri Ekanath K. Thakur; not here. Shri K.B. Krishna Murthy.

Demand for Granting Classical Language Status to Kannada

SHRI K.B. KRISHNA MURTHY (Karnataka): Sir, it was a long-overdue step by the Government of India to have accorded the 'Classical Language' status to Tamil, with its lexical richness and antiquity, spanning several centuries.

Going by the criteria set for recognition of a language as a Classical one, Kannada rightfully qualifies for accord of a similar status. On all accounts—antiquity, ancient body of literature, original living traditions and continuity—Kannada has impeccable credentials, as documented by the UNESCO in its monograph "ASIA SCRIPTS' which ranks 'Kannada' among the major scripts of the world.

Sir, beyond its lexical purity, Kannada transcends the creative aspects further on to canonized local knowledge systems, grammatical traditions, dictionaries, encyclopaedias, books on science, medicine agriculture etc.

Sir, a well-documented case has already been made by the Government of Karnataka, in its communication to the hon. Prime Minister of India, which I commend, be subjected to a critical evaluation by the Sahitya Academy which has access to a vast repository of books and reference works. Compared to Hebrew and Chinese writing systems that claim an antiquity of three millennia, among Indian languages only 'Tamil' and 'Kannada' have a long and enduring history of writing. I request the Government of India to accord a 'Classical Language' status to Kannada.

SHRIMATI PREMA CARIAPPA (Karnataka): Sir, I associate myself with his Special mention.

SHRI E.M. SUDARSONA NATCHIAPPAN (Karnataka): Sir, I also associate myself with his Special Mention.

SHRI B.K. HARIPRASAD (Karnataka): Sir, I associate myself with his Special mention.

SHRI JAIRAM RAMESH (Karnataka): Sìr, I also associate myself with his Special mention.